

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 125 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 125 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "^A[नियम 125 : प्राधिकरण का सचिव
अपर आयुक्त (^B[मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय] में कार्यरत) की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी, प्राधिकरण का सचिव होगा।]"
- A अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा नियम 125 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "नियम 125 : प्राधिकरण का सचिव
बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा।"
- B अधिसूचना क्रमांक 29/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा "रक्षोपाय महानिदेशालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित